न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
244 / अपील / 18	05.06.2018	09.10.2019

ओमप्रकाश आ0 श्योजी जाति गुर्जर,
निवासी लंकागेट रोड बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी
– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी
– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.18 (मिसल संख्या 297 / 2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 15.02.2018 के लिए मुकाम हट्टीपुरा पर 10 बजे उपस्थित होने बाबत नोटिस दिनांक 01.02.2018 को जारी किया, उक्त नोटिस में पश्चातवृत्ती अतिक्रमण का कॉलम छूटा हुआ था। लेकिन उक्त दिवस को मुकाम हट्टीपुरा को न्यायालय की ओर से कोई उपस्थित नहीं

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

आया। अपीलांट द्वारा उसका कोई अतिक्रमण नहीं होने की बात पटवारी हल्का को बताई, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को नया नोटिस आ जाने की बात बताई। तत्पश्चात् अपीलांट को फिर नोटिस दिनांक 09.3.18 के लिए प्राप्त हुआ। इस कारण अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख सका। अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और नपाई के अभाव में अधिक भूमि पर कब्जा हो, जिसका ज्ञान अपीलांट को नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कहने पर अपीलांट ने उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है। अपीलांट का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी से जिरह करने के अभाव में साक्ष्य पटवारी कानूनन मान्य नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.03.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह गे.मु.रास्ते की सरकारी भूमि है, उक्त भूमि आवन्टन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांट के पश्चातवृर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 443 रकबा 16 बिस्वा किस्म गे0मु0रास्ता वाके ग्राम अस्तोली पर संवत् 2074 मौसम रबी में गेहूँ की फसल काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 60/—रू. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी उक्त भूमि पर उड़द की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मुकाम हट्टीपुरा के लिए नोटिस दिया, लेकिन उक्त तिथि को मुकाम हट्टीपुरा में अधीनस्थ न्यायालय की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। तत्पश्चात् उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 15.02.18 को मुकाम हट्टीपुरा में पेश हुई, अतिक्रमी उपस्थित हुआ, लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांट की ओर से उक्त भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चातवृर्त्ती अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय नायब तहसीलदार बूंदी की पत्रावली संख्या 1460/17 निर्णय दिनांक 29.08.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह **गे.मु.रास्ता** किस्म की सरकारी भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्टन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है तथा **सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है,** जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर ही समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर बून्दी

सत्य प्रतिलिपि

अति०प्रशासनिक अधिकारी
कलेक्ट्रेट, बून्दी